आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :फतेहपुर,तहसील :बिन्दकी
वाद सख्या :-5706/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202202250205706
श्री बल्देव सिंह उच्चतर माध्यमिक वधिालय बैरमपुर प्रबधक बल्देव प्रसाद बनाम उ0प्र0सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व सहिता - 2006

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद श्री बल्देव सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरमपुर/प्रबधक बल्देव प्रसाद पुत्र मूलचन्द्र उर्फ फूलचन्द्र निवासी अस्पताल रोड कस्बा व तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर द्वारा उ0प्र0सरकार को प्रतिपक्ष बनाते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु आर0सी0 प्रपत्र–25 संलग्न कर कहा गया है कि ग्राम बैरमपुर परगना कोटिया गुनीर तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर की खतौनी सन् 1426–1431 फसली के खाता संख्या 193 की गाटा संख्या 98/0.650,99/0.5260,100/0.4290,114/0.0730 कुल 4 किता रकबा 1.0930हे0 भूमि संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात व खातेदार तथा काबिजदार है। उक्त आराजी निजाई में वादी का वर्तमान समय में भूप्रयोजन परिवर्तित हो चुका है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही किया जाता है। अकृषिक प्रयोग में लाया जाता है। वादी ने कहा है कि भविष्य में अपनी उक्त जमीन का मत्स्यपालन,कुक्कुट पालन व बागवानी में उपयोग नही करेगें। गाटा संख्या 98/0.650,99/0.5260,100/0.4290,114/0.0730 कुल 4 किता रकबा 1.0930हे0 पर भूप्रयोजन परिवर्तित करके कृषिक भूमि के स्थान पर अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की याचना की गई है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार बिन्दकी से उ0प्र0राजस्व संहिता 2006 की धारा 80के अन्तर्गत दिए गए प्राविधानों के क्रम में आख्या प्राप्त की गई, जो पत्रावली में संलग्न है। तहसीलदार बिन्दकी की आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि ग्राम बैरमपुर में है। वर्तमान में प्रश्नगत आराजी में कृषि कार्य नही हो रहा है। नजरी नक्शा,फोटोग्राफ,उद्धरण खतौनी,जो0च0आकार पत्र 41 व 45 आदि संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ग्रामसभा की सुरक्षित व सार्वजनिक उपयोग की भूमि नही है तथा धारा–77 से आच्छादित नही है। प्रश्नगत भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है,जिसमें शिक्षण कार्य संचालित है। आराजी निजाई पर कृषि कार्य न होने के कारण कृषिक भूमि से अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु आख्या उपलब्ध कराई है।

Scanned with CamScanner